Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the Deoli-Uniara (097) Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act,1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that----

Shri Harish Chandra Meena (Name)

4 K 10 Jawahar Nagar Jaipur (Address)

sponsored by Indian National Congress (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Tonk

Dated 03-12-2023

(Trilok Chand Meena)

Returning Officer.

Assembly constituencyDeoli-Uniara(097)

रिटरिंग अधिकारी (SDM) विधानसभा क्षेत्र वेवली-चनियारा(897)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

देवली-उनियारा (097) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान(राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री हरीश चन्द्र मीना

(नाम)

4 क 10 जवाहर नगर जयपुर

(पता)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए /की गई हैं |

उपर्युक्त निर्वाचन- क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं | स्थान-टोंक

दिनांक 03-12-2023

1r (त्रिलोक चन्द मीना)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र देवली-उनियारा (097)

रिटर्निंग अधिकारी (SDM) विधानसभा क्षेत्र देवली-उनियारा(097)